



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 मार्च, 2021

चैत्र 5, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 422/ग्यारह-2-21-9(46)-20-उ०प्र०अधि०-5-2008-आदेश(174)-2021

लखनऊ, 26 मार्च, 2021

अधिसूचना

प०आ०-102

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि राज्य में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में असामान्य परिस्थितियों विद्यमान हैं, इसलिए धारा 29 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन आने वाली समस्त श्रेणियों के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाहियों, जिनका उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) के अधीन निस्तारण किये जाने का अन्तिम दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जायेगा, को पूरा करना कठिन होगा;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (11) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, धारा 29 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन आने वाली समस्त श्रेणियों के कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाहियों, जिनका उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) के अधीन निस्तारण किये जाने का अन्तिम दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जायेगा, के लिये समय सीमा में दिनांक 30 जून, 2021 तक के लिये वृद्धि करती हैं।

आज्ञा से,

संजीव मित्तल,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 422/XI-2-21-9(46)-20-U.P. Act-5-2008-Order(174)-2021, dated March 26, 2021 for general information :

No. 422/XI-2-21-9(46)-20-U.P. Act-5-2008-Order(174)-2021

Dated Lucknow, March 26, 2021

WHEREAS the State Government is of the opinion that extra ordinary circumstances are prevailing in the State in assessment year 2020-21, it would be difficult to complete all the categories of assessment or re-assessment proceedings falling under various sub-sections of section 29 whose last date for disposal under the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (Uttar Pradesh Act no. 5 of 2008) will expire on March 31st, 2021;

2. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (11) of section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to extend the time limit upto June 30th, 2021 for all categories of assessment or re-assessment proceedings falling under the various sub-sections of section 29 whose last date for disposal under the Uttar Pradesh Value Added Tax, 2008 (U.P. Act no. 5 of 2008) shall expire on March 31st, 2021.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 17 राजपत्र-2021-(21)-599 प्रतियां (क०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० राज्य कर-2021-(22)-1000 प्रतियां (क०/ऑफसेट)।